



अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंची(धनवादा)

अभिलेख सं० 7.6 (X) / 2016-17

वाद का प्रकार :- विहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 राहपटित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा आसना साचा थाना नं० 159 खाता नं० 101
प्लॉट नं० 388 रकबा 65570 एकड़ की

भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनावाद विहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० 1 के पृष्ठ संख्या 289 पर जमाबंदी रैयत कोरररररररररररर के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाए।

अभिलेख दिनांक 28.9.2016 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
तोपचौंची

R
4.9.16

13/8/20

अभिलेख उपस्थापित ! तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया गया है। इस संबंध में.....पुलु...एस.....द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थिति जो अभिलेख में संलग्न है। लगान वर्ष.....तक भुगतान किया गया है।

मौजा-...आसरासिंधा.....थाना नं०...159...खाता नं०...101...
प्लाट नं० 388... रकबा...05.56...कुल...05.51

भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। पंजी- II में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं:-


1. जमाबंदी सृजित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।
2. लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/ सादा हुकुनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।
3. बंदोवस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
4. प्रतिवादी ने प्रतिवेदित भूमि से संबंधित कोई भी कागजात नहीं होने से इंकार किया है।


उपरोक्त तथ्यों में स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है।

अतः मौजा-...आसरासिंधा.....थाना नं०...159...खाता नं०...101...
प्लाट नं० 388... रकबा...05.51...कुल.....धूर, कुल...05.51...धूर, भूमि जो प्रतिवादी.....राधु...एस..... के नाम पर पंजी- II में दर्ज है, को बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

तदनुसार अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनवाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


13/8/20
अंचल अधिकारी
तोपचौची।


13/8/20
अंचल अधिकारी,
तोपचौची।

(76)

(59) Jc

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- शंजु उर्फ पिता -

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

भीजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
आकामाबाद	- 159 -	101 -	388 -	0.556

3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या...../..... पृष्ठ सं०- 289 पर दर्ज है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 95-96

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातोदार का नाम :- आसुवुड शंजु

6. किस राक्षम प्राधिकार/पञ्चमिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- जं. सा. र. र. र.

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम -

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवेध भूबंदोबस्ती - 5/1/96)

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजसन अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हरतांतरण पंजी) - 5/1/96 II

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	- 563664 -	7.1.96 -	95-96

(Signatures)

11/10
सेवा में,

श्रीमान अंजन अधिकारी,
तोपलगाँवाँ।

विषय:- सादर अभिलेख सं० 761 अं० 16-17 के संबंध में।

महोदय,

सादर कहना है कि मैं शुभ दास, पिता - राधु

दास, ग्राम- अतना सिंधा, थाना-तोपलगाँवाँ, धरबाद की निवासी

श्रीमा- अतना सिंधा, नं० 159, खता नं० 101

पत्तो नं० 388 रकबा 5 बी. भूमि के संबंधित कोई कागजात नहीं

है।

दिनांक 26-9-16

आपका विधवाही,

शुभ दास

*Put up in records
13/9/16*

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौची(धनबाद)

गाद अभिलेख सं० ७६ (X) / 2016-17 (अन्तर्गत धारा - 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

धनाम

राजु दास

पिता -

ग्राम - आसनासींधा पो०

थाना - जिला - धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा आसनासींधा
थाना न० 159 खाता न० 101 प्लॉट न० 338
रकबा 05 सीठ एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का न० (X) के पत्ती II
भाग 01 के पृष्ठ 289 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजरब कर्मचारी ने प्र०अंचल
निरीक्षक के माध्यम से जॉबोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 26.9.16 को समय 11:00 बजे
पूर्वां० में उक्त भूमि का रिटर्न -I, भूमिबंदोबरती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा
निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एव सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा
निर्गत राजरब रसीदों निर्गत परवाना एव अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सात्यापित प्रति जो
आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में
उपरिस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते
हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिराममत अनुशारा कर दी
जायेगी।

इसे सख्त ताकदीद जाने।

तिथि :-

स्थान - तोपचौची



अंचल अधिकारी

तोपचौची

9.9.16

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंची(धनबाद)

बाद अभिलेख सं० ७६(ख) / 2016-17 (अन्तर्गत धारा - 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

राजु दास

पिता -

ग्राम - आसनासींधा पो०

थाना - जिला - धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि गौजा आसनासींधा
थाना नं० 159 खाता नं० 101 प्लॉट नं० 388
रकबा 05 डी० एकड से संबंधित आपके नाम से हल्का नं० (X) के पंजी ॥
भाग 01 के पृष्ठ 284 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र०अंचल
निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 26.9.16 को समय 11:00 बजे
पूर्वा० में उक्त भूमि का रिटर्न -1, भूमिबंदोबरती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा
निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा
निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो
आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहरताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में
उपरिस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दरतावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते
हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी
जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

तिथि :-

स्थान :- तोपचौंची

राजु दास के पुत्र के ए०/-

पुत्र ५१६



अंचल अधिकारी
तोपचौंची
21/9/16
9.9.16